

परियोजना का नाम - उत्तराखण्ड एवं हिमाचल राज्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (पांवटा साहिब-बल्लूपुर (देहरादून)) के किमी 104.000 से किमी 149.000 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के निर्माण हेतु 24.1884 है० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई - 45 कि०मी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम- दासीवाला

तहसील- विकासनगर जिला देहरादून

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर, के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (पांवटा साहिब-बल्लूपुर (देहरादून)) के किमी 104.000 से किमी 149.000 तक और (पांवटा साहिब बाईपास) के किमी 97.000 से किमी 104.000 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु (आरक्षित वनभूमि 24.1884 है० सिविल सोयम भूमि 0.00 है०, वन पंचायत भूमि 0.00 है०,) अर्थात् कुल 24.1884 है० वन भूमि का हस्तान्तरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावित्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत दासीवाला द्वारा दिनांक 30/11/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम दासीवाला के ग्रामवासियों को उक्त वन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून/प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव नेहा प्रसन्न शर्मा
30/11/2021
क्षेत्र
तहसील- विकासनगर



by



परियोजना दिशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
New Delhi, India

प्रपत्र - 23.1

दिनांक - 30/11/21 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम - हमीताल

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	अजिता पाल	Ajita
2.	सुरेन्द्र कुमार	सुरेन्द्र
3.	रजिता	रजिता
4.	अजय	Ajay
5.	मुकरम	मुकरम
6.	कलीम	कलीम
7.	विनिता चौहान	Vinita
8.	मनीष	मनीष
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		

बिष्णुमल-श्रीधराम
दिनांक 30/11/21

ग्राम सभा - विकासगार



परियोजना निदेशक/Project Director
 राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
 National Highways Authority of India
 (सड़क परिवहन विभाग, भारत सरकार)
 Ministry of Road Transport & Highways
 प्लॉट नं. 20-ए, इंदिरा नगर, नया दिल्ली

परियोजना का नाम - उत्तराखण्ड एवं हिमाचल राज्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (पांवटा साहिब-बल्लूपुर (देहरादून)) के किमी 104.000 से किमी 149.000 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के निर्माण हेतु 24.1884 है० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई - 45 कि०मी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम- आसवाल

तहसील- विकासनगर जिला देहरादून

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर, के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (पांवटा साहिब-बल्लूपुर (देहरादून)) के किमी 104.000 से किमी 149.000 तक और (पांवटा साहिब बाईपास) के किमी 97.000 से किमी 104.000 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु (आरक्षित वनभूमि 24.1884 है० सिविल सोयम भूमि 0.00 है०, वन पंचायत भूमि 0.00 है०,) अर्थात् कुल 24.1884 है० वन भूमि का हस्तान्तरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यार्वित्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत आसवाल द्वारा दिनांक 30/11/21 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम आसवाल के ग्रामवासियों को उक्त वन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून/प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव

लेखिका श्रीभाराम
क्षेत्र- आसवाल
तहसील- विकासनगर

ग्राम प्रधान



30/11/2021






परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
प्लॉट नं० १००-१०००, बंगला, नई दिल्ली

प्रपत्र - 23.1

दिनांक - 30/11/2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम - अहोला

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	Bijesh kumar	 20/11/2021
2.	शीतल	" शीतल
3.	Vasun	
4.	रविन्द्र कुमार	रविन्द्र
5.	श्रीकांत	पुत्र
6.	नूतु	मंजु कुमार
7.	राजेश कुमार	 30/11/21
8.	जजय सिंह	ASINAH
9.	गुलाब सिंह	
10.	अशुभ सिंह	अशुभ सिंह
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		

जे.श्यामसुंदर प्रभुभारत
30/11/21
तहसील - विक्रीसनगर





परियोजना निदेशक/Project Director
 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
 National Highways Authority of India
 (सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
 Ministry of Road Transport & Highways
 प्लॉट नं. 20-ए-1, बंगला, दिल्ली

प्रपत्र - 23.1

दिनांक - 30/11/21 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम - साहपुर कल्याण

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	राजेंद्र S/O स्व बाबूराम	राजेंद्र लंगार
2.	रघुवीर S/O मादराम	रघुवीर
3.	बलवीर S/O हेमराज	बलवीर
4.	राजेंद्र S/O लाल सिंह	राजेंद्र
5.	राजेंद्र S/O फूल	राजेंद्र
6.	शम्भू S/O देवीसिंह	शम्भू
7.	गुलाब S/O तेलीराम	गुलाब
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		

साहपुर कल्याण
तहसील निवासेना



परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पिंडी-वसना बिल्डिंग, इलाहाबाद



प्रपत्र - 23

परियोजना का नाम - उत्तराखण्ड एवं हिमाचल राज्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (पांवटा साहिब-बल्लूपुर (देहरादून)) के किमी 104.000 से किमी 149.000 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के निर्माण हेतु 24.1884 है० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई - 45 कि०मी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम- कुन्जा ग्राम

तहसील- विकासनगर जिला देहरादून


भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर, के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (पांवटा साहिब-बल्लूपुर (देहरादून)) के किमी 104.000 से किमी 149.000 तक और (पांवटा साहिब बाईपास) के किमी 97.000 से किमी 104.000 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु (आरक्षित वनभूमि 24.1884 है० सिविल सोयम भूमि 0.00 है०, वन पंचायत भूमि 0.00 है०,) अर्थात् कुल 24.1884 है० वन भूमि का हस्तान्तरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावित्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कुन्जा ग्राम द्वारा दिनांक 01/12/21 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कुन्जा ग्राम के ग्रामवासियों को उक्त वन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून/प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव


सचिव- विकासनगर

ग्राम प्रधान


ग्राम प्रधान कुन्जा ग्राम




परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
प्रीतवाड़ी-वना विभाग, देहरादून

प्रपत्र - 23.1

दिनांक - 01/12/21 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम - कुन्ना ग्राम

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	उम्मान माली	UmmannAli
2.	सरोज देवी	Saraj
3.	नीलम पाल	Neelampal
4.	सुरेशपाल	Suresh
5.	गुफ्रान	Gufgran
6.	वलीम	Vasim
7.	शाकील अहमद	Shakil
8.	नलीम	Nalim
9.	बानो	Bano
10.	गुलिस्ता	Gulista
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		

लेखपाल-श्रीमती
क्षेत्र-
तहसील-



परियोजना का नाम - उत्तराखण्ड एवं हिमाचल राज्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (पांवटा साहिब-बल्लूपुर (देहरादून)) के किमी 104.000 से किमी 149.000 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के निर्माण हेतु 24.1884 है० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई - 45 कि०मी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम- ...मदन मजरी...

तहसील- विकासनगर जिला देहरादून

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर, के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (पांवटा साहिब-बल्लूपुर (देहरादून)) के किमी 104.000 से किमी 149.000 तक और (पांवटा साहिब बाईपास) के किमी 97.000 से किमी 104.000 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु (आरक्षित वनभूमि 24.1884 है० सिविल सोयम भूमि 0.00 है०, वन पंचायत भूमि 0.00 है०,) अर्थात् कुल 24.1884 है० वन भूमि का हस्तान्तरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यार्वित्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मदन मजरी द्वारा दिनांक 30/11/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मदन मजरी ग्रामवासियों को उक्त वन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून/प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
लेखपाल श्रीमान
क्षेत्र- ...
तहसील- विकासनगर

प्रधान
ग्राम पंचायत कुल्हाल
विकास खण्ड विकास नगर
ग्राम प्रधान
जिला देहरादून (उ०ख०)



परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road, Transport & Highways
प्लॉट नं० १००, इंदिरा पार्क, नई दिल्ली

प्रपत्र - 23.1

परियोजना का नाम - उत्तराखण्ड एवं हिमाचल राज्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (पांवटा साहिब-बल्लूपुर (देहरादून)) के किमी 104.000 से किमी 149.000 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के निर्माण हेतु 24.1884 हे० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

दिनांक - 30/11/12 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम - कुल्हाल सहकरा बाजरी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	रहिन	
2.	निकेश	
3.	दीपक	
4.	अमित कुमार	
5.	प्रकाश	
6.	संजय	
7.	आयुष	
8.	विकी	
9.	शंकर	
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		

ले०
क्षेत्र-
तहसील- विकासनगर

परियोजना निदेशक/Project Director
राज्यीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(एनएचएआई)
Ministry of Road Transport and Highways

प्रधान
ग्राम पंचायत कुल्हाल
विकास खण्ड विकास नगर
जिला देहरादून (उ०ख०)

परियोजना का नाम - उत्तराखण्ड एवं हिमाचल राज्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (पांवटा साहिब-बल्लूपुर (देहरादून)) के किमी 104.000 से किमी 149.000 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के निर्माण हेतु 24.1884 है० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई - 45 कि०मी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम- कुन्जा

तहसील- विकासनगर जिला देहरादून

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर, के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (पांवटा साहिब-बल्लूपुर (देहरादून)) के किमी 104.000 से किमी 149.000 तक और (पांवटा साहिब बाईपास) के किमी 97.000 से किमी 104.000 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु (आरक्षित वनभूमि 24.1884 है० सिविल सोयम भूमि 0.00 है०, वन पंचायत भूमि 0.00 है०,) अर्थात् कुल 24.1884 है० वन भूमि का हस्तान्तरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावित्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कुन्जा द्वारा दिनांक 30/11/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कुन्जा के ग्रामवासियों को उक्त वन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून/प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव श्री शक्ति जोशी
तहसील- विकासनगर

30/11/2021
ग्राम पंचायत कुन्जा
जिला विकासनगर, देहरादून

ग्राम प्रधान



परियोजना निदेशक/Project Director
राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन, वाहन, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
बंगलूरु

परियोजना का नाम - उत्तराखण्ड एवं हिमाचल राज्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (पांवटा साहिब-बल्लूपुर (देहरादून)) के किमी 104.000 से किमी 149.000 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के निर्माण हेतु 24.1884 हे० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई - 45 कि०मी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम- कुल्हाल

तहसील- विकासनगर जिला देहरादून

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर, के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (पांवटा साहिब-बल्लूपुर (देहरादून)) के किमी 104.000 से किमी 149.000 तक और (पांवटा साहिब बाईपास) के किमी 97.000 से किमी 104.000 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु (आरक्षित वनभूमि 24.1884 हे० सिविल सोयम भूमि 0.00 हे०, वन पंचायत भूमि 0.00 हे०,) अर्थात कुल 24.1884 हे० वन भूमि का हस्तान्तरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यार्वित्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सहपुर कल्याणपुर द्वारा दिनांक 30/11/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सहपुर कल्याणपुर के ग्रामवासियों को उक्त वन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून/प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव Shri. S. K. Sharma
तहसील- विकासनगर

ग्राम प्रधान

प्रधान M. Sahni
ग्राम पंचायत कुल्हाल
विकास खण्ड विकास नगर
जिला देहरादून (उ०ख०)



राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रोजेक्ट प्राधिकरण
National Highway Authority of India
(वि०के० प्रशासन शांति भवन, वन मंत्रालय)
Ministry of Road Transport & Highways
Government of India

प्रपत्र - 23.1

दिनांक - 30/11/2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम - कुहराज

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	हरी बहादुर	HRAI
2.	दिलशाद	M. S. Sabar
3.	श्री - हामिर	M. S. Sabar
4.	दीपक	दिपक
5.	रोहन	रोहन
6.	शंकर	शंकर
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		

परियोजना निदेशक/Project Director
 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
 National Highways Authority of India
 (राज्य प्राधिकरण राजमार्ग, भारत सरकार)
 Ministry of Road Transport & Highways
 बंगलौर-५००००२, केरल

